भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1521

उत्तर देने की तारीखः 29.07.2025

हाथ से मैला ढोने की प्रथा का जारी रहना

1521. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत हाथ से मैला ढोने की प्रथा के सांविधिक रूप से प्रतिषेध के बावजूद देश के कई हिस्सों में उक्त प्रथा जारी है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रथा के जारी रहने के क्या कारण हैं और विगत पाँच वर्षों में हाथ से मैला ढोने के दौरान हुई मृत्यु की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि हाथ से मैला ढोने के काम में लगे लोगों में अनुसूचित जातियों, विशेषकर वाल्मीकि और संबंधित समुदायों का गैर-आनुपातिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व है; और

(घ) जाति-आधारित पेशेवर संबंध को तोड़ने और प्रभावित समुदायों के लिए सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, 6.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना एक प्रतिबंधित गतिविधि है। उपरोक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर नहीं लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी व्यक्ति को मैला उठाने के काम पर लगाती है और एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

हाथ से मैला उठाने अर्थात् अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल उठाने के कारण किसी की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ): हाथ से मैला उठाने का कार्य जाति आधारित न होकर व्यवसाय आधारित है। चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का जाति आधारित डेटा नहीं रखा गया है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) को नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है। इसमें चिह्नित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

i. एकमुश्त नकद सहायता।
ii. वजीफे के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण।
iii. स्वरोजगार परियोजनाओं और स्वच्छता संबंधी यंत्रीकृत उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी।
iv. "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर।

******